कार्यालय, संयुक्त निदेशक(शष्य), पटना प्रमण्डल, पटना।

पत्र संख्या 2(ग)स्था०–09/2019 :– 2061 कृ०/पटना, दिनांक :– 15-11-19

कार्यालय आदेश 103/19

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या 1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या 344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या 32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह 'घ' के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध नई नियुक्ति के माध्यम से समायोजित करने हेतु शिक्षा विभाग के संकल्प 13/मु०–10–06/2010 (अंश– I) –945 दिनांक 27.04.2017 के आलोक में निदेशक, जन शिक्षा –सह– अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 13/मु०–10–06/2010 (अंश–III) 919 दिनांक 18.04.2019 द्वारा सूची प्राप्त हुई है।

आयुक्त के सचिव, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 1252 दिनांक 16.09.2019 द्वारा समूह 'घ' के रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर अनुमोदन किये जाने के उपरांत निम्नांकित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समूह "घ" के परिचारी (मार्जक) के रिक्त पद पर न्यूनतम प्रक्रम लेवल–1 (18000–56900) पर पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी रूप से समायोजन/नियुक्ति करते हुए उनके नाम के अंकित कार्यालय में तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है:–

क्र० सं०	कोटिवार सूची क्रमांक	नाम एवं	पिता/ पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जिला	आरक्षण कोटि	कार्यालय का नाम जिसके अधीन पदस्थापित किया गया	माननीय उच्च/ उच्चतम न्यायालय में दिनांक 26.02.2016 तक दायर वाद संख्या एवं वर्ष	अनुदेशक के रूप में लगातार तीन वर्षों तक कार्य करने के अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का नाम, पत्रांक एवं दिनांक के साथ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पि०व०/12	श्री कमल किशोर यादव	श्री छेदी यादव पता:– ग्रा०+थाना+ पो०–जानकीनगर	03-01-64	पूर्णियाँ	पि०व०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, मोहनियां	3940/11.01.2016	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता), पूर्णिया 96/07.09.19
2	पि०व०म०/1	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्री राम प्रवेश यादव पता:– ग्रा०–अधारपुर, पो०–खगरैटा	10-07-71	दरभंगा	पि०व०की म०	उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र, पटना प्रमंडल, आरा	2938/03.02.2016	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता), दरभंगा 274/30.09.19
3	पि०व०म०/2	श्रीमती अंजु कुमारी	श्री जयदेव प्रसाद सिंह पता:– ग्रा०–वढिहुली पो०–अरेगा थाना–बहेड़ी	26-12-71	दरभंगा	पि०व०म०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, उदवंतनगर	2938/03.02.2016	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता), दरभंगा 247/07.09.19
4	अ०पि०व०/3	श्री उपेन्द्र मंडल	श्री नकछेदी मंडल ग्रा०+पो०–मिरदौल, थाना–नरपतगंज	05-03-72	अररिया	अ०पि०व०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, डिहरी	23443/2011	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता), अररिया 149/31.08.19
5	अ०पि०व०/4	श्री सुरेश प्रसाद सरदार	श्री गिरजानंद सरदार ग्रा०–पिपरा बिजवार पो०–कनखुदिया थाना–पलासी	05-03-72	अररिया	अ०पि०व०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर	2512/04.01.2016	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता), अररिया 149/31.08.19
6	अ०पि०व०/14	श्री नागेन्द्र शर्मा	श्री विष्णु शर्मा पता–ग्रा०–हुकमा,पो०–धुआवें	03-01-72	भागलपुर	अ०पि०व०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, डुमरांव	4158/06.01.2016	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता), भागलपुर 283/06.09.19
7	अ०पि०व०/31	श्री बिजेन्द्र कुमार	श्री शिव महतो पता–ग्रा०–वेहरावाँ पो०–सोरंगपुर	06-02-72	पटना	अ०पि०व०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, बिक्रमगंज	21668/2011	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (साक्षरता), पटना 188/13.09.19
8	अ०जा०/8	श्री रामदास पासवान	श्री जगदीश पासवान पता–ग्रा०–कोपगढ़, पो०–पचाढ़ी, थाना–रैयाम	06-08-75	दरभंगा	अ०जा०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, नोखा	3297/2012	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (साक्षरता), दरभंगा 311/28.10.19
9	अ०जा०/22	श्री अरूण कुमार	श्री हिरामन दास पता– ग्रा०+पो०–नदवाँ, थाना–बाढ़	20-09-75	पटना	अ०जा०	परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, जगदीशपुर	23873/2011	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता), पटना 189/14.09.19

कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 439 दिनांक 06.08.2019 द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 54 के तहत 117 अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों (जिनकी आयु नयी नियुक्ति हेतु निर्धारित उम्र से अधिक है) का उम्र क्षांत किया गया है।

3. सरकारी सेवा में समूह 'घ' के रिक्त पदों पर वैसे अनुदेशकों का समायोजन किया गया है, जिनकी सेवा निवृति की आयु शेष है, तथा जो दिनांक 26.02.2016 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद में स्पष्ट Petitioner होने के साथ–साथ लगतार तीन वर्षों तक अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्यरत रहें हैं।

4. समायोजित/नियुक्त कर्मियों द्वारा पदस्थापित कार्यालय में योगदान के समय जन्म तिथि एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात माध्यमिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटा के लिये), अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में लगातार तीन वर्षो तक कार्यरत रहने का अनुभव प्रमाण पत्र मूल में एवं माननीय उच्च/सर्वोच्च न्यायालय में नाम से दिनांक 26.02.2016 तक दायर याचिका की सत्यापित प्रति के साथ–साथ स्वअभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति जमा करने के उपरांत संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के उपरांत ही वेतन का भुगतान किया जायेगा।

5. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन प्रति प्राप्त हुआ है, उसकी छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है। कतिपय जिलों से अनुभव का सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रति प्राप्त नहीं हुआ है, उक्त कर्मियों का अनुभव सत्यापन प्रति प्राप्त होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

6. नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनके उम्र के आधार पर ही होगा अर्थात जिनका उम्र अधिक होगा वे वरीयता क्रम में ऊपर होंगें।

7. समायोजन/नियुक्ति के लिये समूह 'घ' पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात माध्यमिक या समकक्ष उत्तीर्ण व्यक्ति ही योग्य होंगें। उच्चतर योग्यता धारण करने के आधार पर किसी को समूह 'घ' से उच्च वर्ग में समायोजित किया जाने का दावा मान्य नहीं होगा।

8. संबंधित कर्मियों का समायोजन/नियुक्ति नयी नियुक्ति के माध्यम से किया गया है तथा समायोजित पद के न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन का भुगतान किया जायेगा। समायोजित कर्मियों के लिए नयी पेंशन योजना नियमावली 2005 लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

9. योगदान के समय असैनिक –सह– शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं दहेज नहीं लेने–देने एवं आपराधिक मुकदमा/फौजदारी मुकदमा लंबित नहीं होने का शपथ पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करेंगें।

10. समायोजित/नियुक्ति कर्मियों का जिन सम्वर्ग में नियुक्त किया जा रहा है उस सम्वर्ग की नियमावली (स्थानान्तरण/पदस्थापन सहित) मान्य होगी।

11. यदि भविष्य में कोई भी सूचना/तथ्य असत्य या भ्रामक पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त की जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी, जो उन्हें स्वीकार्य होगा।

12. सभी समायोजित/नवनियुक्त परिचारी (मार्जक) को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 30.11.2019 तक अपने पदस्थापन के मुख्यालय उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र, पटना प्रमंडल, आरा/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान करेंगें ।

15.11.19
संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना।

ज्ञापांकः– 2061 दिनांकः– 15.11.19

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित समायोजित/नियुक्त कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

15.11.19
संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना।

ज्ञापांक:– 2061 दिनांक:– 15.11.19

प्रतिलिपि:– सभी संबंधित परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी /सभी जिला कृषि पदाधिकारी, /उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र, पटना प्रमण्डल, आरा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना। 15.11.2019

ज्ञापांक:– 2061 दिनांक:– 15.11.19

प्रतिलिपि:–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना। 15.11.2019

ज्ञापांक:– 2061 दिनांक:– 15.11.19

प्रतिलिपि:–पटना प्रमण्डल के सभी शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना। 15.11.2019

ज्ञापांक:– 2061 दिनांक:– 15.11.19

प्रतिलिपि:–निदेशक जन शिक्षा –सह– अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 919 दिनांक 18.04.2019 एवं आदेश ज्ञापांक 1761 दिनांक 01.08.19 के क्रम में सादर सूचनार्थ समर्पित।

संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना 15.11.2019

ज्ञापांक:– 2061 दिनांक:– 15.11.19

प्रतिलिपि:–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना 15.11.2019

ज्ञापांक:– 2061 दिनांक:– 15.11.19

प्रतिलिपि:–स्थापना प्रभारी, पटना–नालंदा सम्वर्ग/भोजपुर–रोहतास सम्वर्ग/ विपत्र शाखा/लेखा शाखा, प्रमण्डलीय कृषि कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना 15.11.2019

ज्ञापांक:– 2061 दिनांक:– 15.11.19

प्रतिलिपि:– उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

संयुक्त निदेशक (शष्य),
पटना प्रमण्डल, पटना 15.11.2019